

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा0 पत्र/18/2011

दर्ज दिनांक:-26.05.2011

1. रमेश }
2. विनोद }
3. राखी }
4. काजोल }
- नाबालिगान जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता खुद रूमा पत्नी राजवीर जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजवीर पुत्र तोता जाति बावरिया निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील व जिला भरतपुर।

..... अप्रार्थी

उपस्थित:

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.01.2019

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भी खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 24.05.2011 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर